न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 129/2013

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 श्रवणी पुत्री हरलाल उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम लाडवा तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद पत्नी श्री डूंगाराम जाति जाट निवासिनी ग्राम दुगोली तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जैसाराम पुत्र कानाराम उम्र 61 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम अनोखू तहसील धोद जिला सीकर।

2 रामचन्द्र पुत्र देवाराम उम्र 44 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम भुवाला तहसील धोद जिला सीकर।

3 हरलाल पुत्र लादु उम्र 69 वर्ष जाति जाट निवासी लाडवा तहसील धोद जिला सीकर।

4 उप पंजीयक धोद।

5 तहसीलदार धोद।

6 पटवारी हल्का भुवाला।

7 इशरराम पुत्र मुन्नाराम।

8 सोहनलाल पुत्र तनसुखराम समस्त जाति जाट निवासीगण भुवाला तहसील धोद जिला सीकर।

9 श्यामलाल पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 रघुनाथराम पुत्र गोवर्धन राम जाति जाट निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.नं. 222/2013 उनवानी श्रवणी बनाम जैसाराम दिनांक 25.10.2013

उपस्थित

1. श्री सांवरमल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.02.2019

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 222/2013 में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.10.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र संख्या 222/2013 आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ प्रकरण में कैवियट होने से विचारण न्यायालय में कैवियट के नोटिस जारी

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सहायक अपील अधिकारी सीकर

किये गये दिनांक 25.10.2013 को विचारण न्यायालय में वकील प्रार्थी एवं वकील कैवियटकर्ता को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनकर आवेदन खारिज किया है। इसके उपरान्त शेष अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी कार्यवाही हेतु आगामी तिथि नियत की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वरवक्त बहस उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने प्रकरण अन्तिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने पर सहमती व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है। गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण सहमत है और यह विधि सम्मत भी है फलतः प्रकरण में अपीलांट के पिता हरलाल पुत्र लादुराम का विवादित भूमि में 1/12 हिस्से तक विवादित भूमि की मौके रिकार्ड की यथास्थिति दावे के निर्णय तक बनाये रखने के लिए उभयपक्ष को पाबंध कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर एक माह में अन्तिम निर्णय पारित करें। शेष भूमि के सन्दर्भ में स्थगन नही रहेगा। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कस्तूर सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर